न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल एम.पी.नगर वृत्त भोपाल

रा.प्र.क्र. 03/अ–3/2019–20

शैलेन्द्र प्रधान आ. प्रभुदयाल प्रधान
निवासी– ई–3/75, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल————————————————————आवेदक

विरूद्व

सर्व साधारण——————————————————अनावेदक

// आदेश //

(पारित दिनांक 03/06/19)
(धारा 69 के अंतर्गत)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक शैलेन्द्र प्रधान आ. प्रभुदयाल प्रधान निवासी– ई–3/75, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने ग्राम अहमदपुरकलां स्थित भूमि, खसरा क्रमांक 13/1/1/क कुल रकबा 3.788 हेक्टेयर में से 1.40 एकड़ भूमि का नक्शे में बटान हेतु आवेदन पत्र, भू–अधिकार ऋणपुस्तिका की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि ग्राम अहमदपुरकलां स्थित भूमि खसरा क्रमांक 13/1/1/क कुल रकबा 3.788 हेक्टेयर में से 1. 40 एकड़ भूमि शैलेन्द्र प्रधान आ. प्रभुदयाल प्रधान निवासी– ई–3/75, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है। आवेदित भूमि का बटान हेतु नियत दिनांक को मौके पर उपस्थित होकर आवेदक के कब्जे अनुसार टोटल स्टेशन मशीन (टी.एस.एम.) से सर्वे किया जाकर स्थल पर अक्श बटान तीन प्रति में तैयार की गई एवं स्थल पर स्थल पंचनामा एवं अक्श बटान पर सहमति से हस्ताक्षर किए गए।

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ऋणपुस्तिका की छायाप्रति एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित अक्श बटान के आधार पर प्रकरण का परिशीलन किया गया मौके पर मेढ़ कृषक द्वारा सहमति स्वरूप अक्श बटान पर हस्ताक्षर किए गए।

अतः म.प्र. भू:राजस्व संहिता वर्ष 1959 की धारा 69 के अंतर्गत ग्राम अहमदपुरकलां स्थित भूमि खसरा क्रमांक 13/1/1/क कुल रकबा 3.788 हेक्टेयर में से 1. 40 एकड़ भूमि का प्रस्तावित बटान स्वीकृत किया जाता है जो अनुलग्नक "प्रदर्श पी–1" होकर प्रकरण में संलग्न है। अक्श की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति राजस्व निरीक्षक का रिकोर्ड में अमल हेतु दी जावे। तत्पश्चात् प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

03/06/19

नायब तहसीलदार
नजूल एम.पी.नगर भोपाल

नायब तहसीलदार
राज. परि. एम.पी. नगर वृत
भोपाल

Scanned by CamScanner